जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय प०सिंहभूम, चाईबासा।

अल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधायक योजना के तहत एम्बुलेंस का क्रय किया जाना है। एम्बुलेंस के क्रय/ आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित वाहन बिक्रेताओं से **दिनांक 19.09.2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न** तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक वाहन बिक्रेता/ आपूर्तिकता द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाऐं स्वीकृत नहीं की जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त मुहरबन्द निविदायें **दिनांक 19.09.2016 को ही अपराह्न 12.30** बजे गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निम्न मॉडल का एम्बुलेंस क्रय किया जाना है :–

1	Bolero Ambulance/AC/BS3
2	Traveller Ambulance 3350 WB BS III AC PS ABS
3	TATA XENON Pickup 4SPTC

- सभी निविदायें द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelops System) के अनुसार डाली जायेगी।
- निविदादाता एक लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में **''तकनीकी बीड''** लिखकर उसमे माँगे गये सारे कागजात और प्रमाण–पत्र (जमानत राशि का ड्राफ्ट) डालेंगे एवं उसे मुहरबंद करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगें।
- दूसरे लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में **''वित्तीय बीड''** अंकित करेंगे उस लिफाफे में केवल एम्बुलेंस वाहन का दर अंकित करेंगें और उसे लिफाफा में डालकर मुहरबंद करेंगें। उस लिफाफा में दर के अलावे कोई अन्य कागजात नहीं डाला जायगा। उस लिफाफे पर भी अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगें।
- तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दोनों मुहरबंद लिफाफे को तीसरे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को बंद करेगें और उस पर साफ–साफ लिखेंगें **एम्बुलेंस हेतु निविदा**। लिफाफे पर अपना नाम पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा उप विकास आयुक्त, प०सिंहभूम, चाईबासा के नाम से मुहर बंद लिफाफा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भेजेगें/ जमा करेंगे।
- पहले तकनीकी बीड खोली जायेगी और निविदादाताओं को उपस्थिति में ही उनका तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। जिन निविदादाताओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया जाएगा उन्हीं का वित्तीय बीड खोला जाएगा।

<u>तकनीकी निविदा की शर्तेः–</u>

निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जायेंगेः–

1. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ पत्र देना होगा।
2. तीन वर्षों का I.T.R. (Income Tax Return) एवं पैंन नम्बर की छायाप्रति देना होगा।
3. वाणिज्यकर निबंधन संख्या एवं वाणिज्यकर किलयरेंस प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4. ISO प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

<u>वितीय निविदा की शर्तेः–</u>

1. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता आपूर्ति की जानेवाली एम्बुलेंस वाहन का दर, बीमा की राशि एवं निबंधन की राशि अलग–अलग अंकित करेंगें।

अन्य शर्तेः–

1. जिनकी निविदा स्वीकृत की जायेगी उन्हें आपूर्ति आदेश मिलने पर **एक सप्ताह** के अन्दर एम्बुलेंस **डी०आर०डी०ए० कार्यालय, प०सिंहभूम, चाईबासा** को उपलब्ध करानी होगी। आपूर्तिकर्ता को अगल से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नहीं होगी।
2. आपुर्ति किये जाने वाले एम्बुलेंस की राशि का भुगतान एम्बुलेंस की आपूर्ति के पश्चात ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम देय नहीं होगा।
3. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
4. किसी भी तरह का विवाद होने पर व्यायिक क्षेत्र प०सिंहभूम, चाईबासा होगा।

1.9.2016

उप विकास आयुक्त,
प०सिंहभूम, चाईबासा।